यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-डीडीहाट द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- डीडीहाट के माह 03/2018 से 01/2019 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार तथा श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकरियों द्वारा श्री एस. के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 22.02.2019 से 06.03.2019 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दयाशंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं श्री शरत श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.03.2018 से 03.04.2018 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2016 से 02/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान में विभिन्न विभागों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण, नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण, पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुन:निर्माण एवं विभिन्न खेल मैदानों का निर्माण आदि कार्य जो सुदूर आँचलों में स्थित है, का निष्पादन करवाया जाता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर- स्थापना				
	आवंटन धनराशि	व्यय धनराशि	बचत	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अवशेष
2015-16	104.35	95.58	8.77	1358.21	1888.10	3246.31	1566.02	1680.29
2016-17	118.33	115.22	3.11	1680.29	1361.21	3041.50	1773.79	1267.71
2017-18	120.84	112.09	8.75	1267.71	1122.76	2390.47	813.82	1576.65
2018-19 (till 01/2019)	125.92	78.64	47.28	1576.65 1	1296.56	2873.21	1019.80	1853.41

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	नाबार्ड				
	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अवशेष
2015-16	5.25	362.98	368.23	101.40	266.83
2016-17	266.83	498.18	765.01	414.60	350.42
2017-18	350.42	507.26	857.68	205.53	652.14
2018-19 (Till 02/2019	652.14	155.85	807.99	418.81	389.18

वित्तीय वर्ष	बी0ए0डी0पी0				
	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अवशेष
2015-16	184.00	8.51	192.51	116.25	76.26
2016-17	76.26	188.07	264.33	143.33	121.00
2017-18	121.00	205.80	326.80	60.08	266.73
2018-19 (Till 02/2019	266.73	349.41	616.13	218.01	398.12

iii). विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

<u>तकनीकी संवर्ग (1).</u> मुख्य अभियंता (स्तर - 1), (2).मुख्य अभियंता (स्तर- 2), (3). अधीक्षण अभियंता (परिमण्डलवार), (4). अधिशासी अभियंता (प्रखण्डवार), (5). सहायक अभियन्ता, (6).कनिष्ठ अभियन्ता, (7).मानचित्रकार

<u>गैर-तकनीकी संवर्ग:</u> (**1).** वित्त नियंत्रक, (2). खंडीय लेखाकार/खंडीय लेखाधिकारी, (3). प्रशासनिक अधिकारी, (4). प्रधान सहायक, (5). वरिष्ठ सहायक, (6). कनिष्ठ सहायक

(iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 03/2018 से 01/2019 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- डीडीहाट के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-डीडीहाट की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(vi). खण्ड के भण्डार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमश: माह- स्टॉक शून्य है - तथा माह 09/2018 तक की गई।

(vii). फार्म 51: माह 01/2019 तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वीतीय के अवशेष निम्नवत है:- (धनराशि रु में)

भाग प्रथम रु (-)145,20,000/-

भाग द्वीतीय रु -

(viii). खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष माह 01/2019 के अन्त में (धनराशि रु में)

(क). प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम रु NIL

(ख). सामग्री क्रय रु NIL

(ग). नकद परिशोधन रु NIL

(घ). निक्षेप रु 18,50,56049/-

(ड़). भण्डार रु NIL

भाग 2 (ब)

प्रस्तर01 - रु.208.25 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा जाना ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, डीडीहाट की निक्षेप पंजिका भाग तीन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि 16 ग्राहक विभागो द्वारा 59 निर्माण कार्यों हेतु 22 माह से लेकर 91 माह पूर्व धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी । उपरोक्त कार्यों मे से 12 विभागों के 49 निर्माण कार्य 04 माह से लेकर 06 माह की अवधि पूर्व पूर्ण किए जा चुके थे । सामान्यतः निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने के पश्चात उनकी अवशेष धनराशि संबन्धित विभाग को तत्काल वापस कर देनी चाहिए ताकि उस धनराशि का प्रयोग अन्य आवश्यक कार्यों मे किया जा सके। परंतु लेखापरीक्षा मे पाया गया कि उक्त अवशेष धनराशि (208.25लाख) संबन्धित विभागों को वापस न करके इकाई के खातों मे निष्प्रयोज्य अवरुद्ध पड़ी थी जबकि धनराशि को इतने लंबे समय तक अवरुद्ध रखे जाने का कोई औचित्य नहीं था साथ ही इकाई द्वारा उक्त धनराशि को वापस किए जाने के संबंध मे कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी(संलग्नक-1)।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित कार्यों मे से 49 कार्यों को 04 माह से लेकर 06 माह की अवधि पूर्व पूर्ण कर लिया गया है। पूर्ण कार्यों की अवशेष धनराशि को संबन्धित विभागों को वापस करने की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी । इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करता है एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने का आश्वासन देता है । इस प्रकार इकाई द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत कुल रु. 208.25 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर 02- बिना किसी अनुमति के रु. 41.88 लाख का व्ययाधिक्य

वित्तीय हस्तपुस्तिका के वॉल्यूम-6 के नियम 381 के अनुसार "No material alteration in sanctioned designs may be made by a divisional officer in carrying out any work, without the approval of the superintending engineer. Should any alteration of importance, involving additional expense, be considered necessary, a revised or supplementary estimate should be submitted for sanction . In urgent cases, where the delay thus caused would be inconvenient, an immediate report of the circumstances must be made to the superior authority and deal with as the case may require. In the case of material modifications of or deviations from a sanctioned estimate it is the duty of the executive officers to see that sanction of the competent authority is obtained."

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, डीडीहट के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि-

(1) जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत विकासखंड धारचूला के जौलजीबी-मुन्सयारी मोटरमार्ग से बरमगाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 2.00 कि.मी. थी कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे। इस कार्य हेतु रु 208.90 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य की अवशेष धनराशि बाद मे उपलब्ध कराये जाने के कारण पुनरीक्षित आगणन का गठन किया गया जिसके अंतर्गत स्टेज-1 के अवशेष कार्यों तथा स्टेज-2 के कार्यों हेतु रु.128.44 लाख की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी । प्रथम चरण के कार्यों के अंतर्गत एक अनुबंध (97/EE) तथा पुनरीक्षित आगणन के अंतर्गत स्टेज-1के अवशेष कार्य तथा स्टेज-2 के कार्यों हेतु एक साथ गठित अनुबंध (04/SE) के अंतर्गत अनुबंधित मात्रा से अधिक मात्रा मे कार्य किए जाने के परिणाम स्वरूप रु.12.35 लाख का व्ययाधिक्य निम्नानुसार किया गया, जबकि इस व्ययाधिक्य को करने से पूर्व न तो सक्षम अधिकारी को सूचित कर अनुमति प्राप्त की गयी थी एवं न ही लेखापरीक्षा अवधि(जनवरी 2019) तक कोई विचलनपत्र तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया गया था।

अनुबंध संख्या	मद का नाम	अनुबंधित मात्रा	निष्पादित मात्रा	अंतर	मद का मूल्य	व्ययाधिक्य धनराशि
97/EE	RR Stone Masonry laid dry	169.29Cum	769.37Cum	600.08	1635.40	981371
	Exvation in Foundation for R/W &B/W	184.00 Cum	304.23 Cum	120.232	262.30	31536
04/SE	RR Stone masonry laid in 1:6	101.43Cum	147.87Cum	46.44	3367.77	156399
	GSB	721.50 Cum	787.01	65.51	1007.77	66019
Total						**12,35,325**

इसके अतिरिक्त इसी कार्य के अंतर्गत अनुबंध संख्या 97/EE एवं 50/EE के अंतर्गत निम्नवत कार्य अतिरिक्त कार्य मदों के रूप मे बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए कराये गए तथा उनका भुगतान किया गया जो की उपरोक्त नियमानुसार अनुचित था -

अनुबंध संख्या	अतिरिक्त कार्य	मात्रा	मूल्य	भुगतानित राशि
97/EE	Excavation in soil	---	---	141426
	PCC 1:3:6	10.51Cum	5895.50	61962
	RCC Grade M-25	19.97Cum	8209.40	163942
50/EE	RCC Scuper	48.10	23277.10	11,19,629
Total				14,86,959

(2) शासनादेश संख्या: 14/XII-2/2016/83(04)/2014 दिनाँक 04 फ़रवरी 2016 द्वारा खड़िग से मैलोन तक ग्रामीण मोटर मार्ग (लम्बाई- 3.05 कि.मी.) के निर्माण हेतु रु. 221.07 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे । प्रथम चरण के कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 02 अनुबंधों का गठन किया गया था। अनुबंध संख्या 100/EE के अंतर्गत निम्नवत कार्य अतिरिक्त कार्यों के रूप मे कराये गए थे परंतु उपरोक्त नियमानुसार इन अतिरिक्त कार्यों हेतु उच्चाधिकारियों से किसी प्रकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी।

अनुबंध संख्या	अतिरिक्त कार्य	मात्रा	मूल्य	भुगतानित राशि
100/EE	RR masonry laid dry	568.83	2193.00	1247444
	RR masonry laid in 1:6 cement & sand	66.43	3457.60	229688
Total				**14,66,053**

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे आपत्ति किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार उक्त कार्यों मे व्ययाधिक्य हुआ । अधिक व्यय धनराशि का विचलन प्रपत्र बनाकर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी । इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है ।

अतः रु. 41.88 लाख के बिना किसी अनुमति के व्ययाधिक्य किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 03- अनुबंधित समयावधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण न किए जाने के परिणामस्वरूप दंडात्मक धनराशि रु. 16.14 लाख की वसूली न किया जाना ।

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग ,डीडीहाट के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि निर्माण कार्यों के अंतर्गत गठित अनुबंध के साथ संलग्न GPW 9 clause 04 मे समाहित शर्तों के अनुसार शिडयूल A मे दर्शाये माइलस्टोन के अंतर्गत कार्य सम्पन्न किया जाना था तथा विपरीत स्थिति मे बिलंब से कार्य किए जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए दंडात्मक धनराशि अधिरोपित कर वसूले जाने की व्यवस्था की गयी थी ,जिसके अंतर्गत प्रथम माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 2.5% राशि, द्वितीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 3.5% राशि, तथा तृतीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 4.0% राशि ठेकेदार के बिलो से रोकी जाएगी तथा यदि सम्पूर्ण कार्य चतुर्थ माइल स्टोन की अवधि मे पूरा नहीं किया जाता है तो रोकी गयी सम्पूर्ण धनराशि (अनुबंधित राशि का 10%) जब्त कर ली जाएगी एवं अन्यथा की स्थिति मे ठेकेदार के बिलों से वसूल की जाएगी । लेखा परीक्षा में पाया गया कि-

(1) जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत विकासखंड धारचूला के जौलजीबी-मुन्सयारी मोटरमार्ग से बरमगाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 2.00 कि.मी. थी कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे । इस कार्य हेतु रु 208.90 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । कार्य की अवशेष धनराशि बाद मे उपलब्ध कराये जाने के कारण पुनरीक्षित आगणन का गठन किया गया जिसके अंतर्गत स्टेज-1 के अवशेष कार्यों तथा स्टेज-2 के कार्यों हेतु रु.128.44 लाख की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रथम चरण के कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 02 अनुबंधों का गठन किया गया था तथा पुनरीक्षित आगणन के अंतर्गत स्टेज-1 के अवशेष कार्य तथा स्टेज-2 के के कार्यों हेतु एक साथ अधीक्षण अभियंता स्तर पर निविदा आमंत्रित की गयी जिसके अंतर्गत एक अनुबंध संख्या 04/SE/2018-19 का गठन किया गया। संलग्नक-1 के अनुसार दोनों अनुबन्धो के अंतर्गत कार्य क्रमशः माह 01/2017 एवं माह 12/2018 मे पूर्ण किए जाने थे जिनमे से एक कार्य 17 माह के बिलंब से पूरा किया गया था तथा दूसरा 02 माह से अधिक की अवधि बीत जाने के पश्चात भी अपूर्ण था। अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 12.18 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी । परंतु इकाई द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी ।

(2) शासनादेश संख्या: 14/XII-2/2016/83(04)/2014 दिनाँक 04 फ़रवरी 2016 द्वारा खड़िग से मैलोन तक ग्रामीण मोटर मार्ग (लम्बाई-3.05 कि.मी.) के निर्माण हेतु रु. 221.07 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे । प्रथम चरण के कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 02 अनुबंधों का गठन किया गया था । एक अनुबंध के अंतर्गत कार्य पूर्ण किया जा चुका था परंतु द्वितीय अनुबंध के अंतर्गत (संलग्नक-2) कार्य माह 02/2017 मे पूर्ण किया जाना था परंतु उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 24 माह अधिक की अवधि लेकर भी अपूर्ण था। अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 3.96 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी। परंतु इकाई द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि हेतु आवेदन इस कार्यालय को अभी तक नहीं दिया गया है। इस प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। दंडात्मक धनराशि की वसूली ठेकेदार के अंतिम देयक /जमानत धनराशि से कर ली जाएगी। इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि उसके द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया है तथा धनराशि को वसूल करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः कुल 16.14 लाख की दंडात्मक धनराशि की वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

संलग्नक -1

अनुबंध संख्या	अनुबंधकेअनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब)02/19तक (	अनुबंध की धनराशि	अध्यतन भुगतान की राशि
97/ईई/2016-17	29.01.17	18.6.18/ माह 17	3667460	3073356
04/एसई/2018-19	20.12.18	अपूर्ण/02 माह	8512811	4405528
			121,80,271	

संलग्नक -2

अनुबन्ध संख्या	**अनुबंध के अनुसारकार्य पूर्ण करनेकी तिथि**	**कार्य पूर्ण करने कीवास्तविकतिथि/ बिलंब (11/2018)**	**अनुबंध की धनराशि**	**अद्दतन भुगतान की राशि**
100/EE/2016-17	04-02-2017	अपूर्ण/24 माह	3965428.00	2111507.00
योग			**3965428.00**	**2111507.00**

STAN

प्रस्तर-:1 "Delegation of Financial Power" द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा (रु 40.00 लाख) का उल्लंघन कर एक ही फ़र्म को रु 74.49 लाख के कार्य आवंटित कर अदेय लाभ पहुँचाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 मे वर्णित प्रस्तर 370 (I) के अनुसार -No authority may enter into a contract/agreement into which he is not empowered to enter under paragraph 368 ("Delegation of Financial Powers" by the State Government) or which infringes the rule in paragraph 369 of the FHB (Vol6). **The Rule-369 provides that 'No individual contractor may receive second contract in connection with the same work or estimate while the first is still in force, if the total sum of his contracts exceeds the powers of acceptance of the authority concerned'.**

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, डीडीहाट के निर्माण सम्बन्धी अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या: 14/XII-2/2016/83(04)/2014 दिनाँक 04 फरवरी 2016 द्वारा बेरीनाग चौकोरी मोटर मार्ग धोबीधरा से तुम्क्यारारोडा गाँव तक ग्रामीण मार्ग को प्रस्थापित कर खडिक से मैलोन तक ग्रामीण मोटर मार्ग (ल.-3.05 किमी.) के निर्माण हेतु प्राक्कलन लागत ₹221.07 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। यह कार्य दो चरणों में पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि Delegation of Power द्वारा निर्धारित सीमा (रु40.00 लाख) और FHB Vol- VI के प्रस्तर-369 के प्रावधानों के विरूद्ध इकाई द्वारा एक ही ठेकेदार श्री जगत सिंह महर के साथ अधिशासी अभियंता स्तर पर एक ही कार्य के 02 पृथक-पृथक अनुबंध (कुल धनराशि रु. 74.49 लाख) गठित किये गये। खण्ड द्वारा स्टेज-I के कार्य हेतु गठित दोनों अनुबन्धों के कार्य एक ही ठेकेदार को आवंटित कर उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया जिसका विवरण निम्नवत है:-

Name of Firm/Contractor	***Agreements No.***	***Cost of Agreement (Amount in Rs.)***
Sh.Jagat Singh Mahar	01/EE/2016-17,Dt.07-04-2016	3484024.00
	100/EE/2016-17, Dt.05-08-2016	3965428.00
	TOTAL	**7449452.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि मुख्य अभियंता द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुपालन मे कार्य को तीन job मे बांटकर निविदा आमंत्रित की गयी थी, उक्त ठेकेदार की दरें तीनों निविदाओं मे न्यूनतम रहने के कारण इसी ठेकेदार से अनुबंध गठन की कार्यवाही की गयी। अनुबंध अधिशासी अभियंता की सीमा के भीतर हैं अतः राज्य सरकार से कोई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। भविष्य मे लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी का संज्ञान लिया जाएगा । इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि job मे कार्य बांटे जाने की स्थिति मे कार्य को अलग -अलग चैनएज मे बांटा जाता है एवं प्रत्येक चैनएज मे एक ही प्रकार की कार्यमदों को चैनेज की आवश्यकता अनुसार किया जाता है जबकि उपरोक्त कार्यों मे एक ही कार्य के अंतर्गत की जाने वाली कार्यमदों को बांटा गया है जो अलग-अलग job की श्रेणी मे नहीं आता । इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उसको उपरोक्त नियम की जानकारी नहीं थी भविष्य मे इसका अनुपालन किया जाएगा । अतः “Delegation of Financial Power” द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा (₹ 40.00 लाख) का उल्लंघन कर एक ही फर्म को रु.74.49 लाख के कार्य आवंटित कर अदेय लाभ पहुँचाये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की कुल संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SS/ AIR- 24/ 2014-15	4,2	---	4,5,7,9	1,2
SS/ AIR- 88/ 2016-17	4	---	1,2,3,4	---
SS/ AIR- 227/ 2017-18	2	---	1,2	---

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/ AIR- 24/ 2014-15	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil भाग-2'ब'प्रस्तर सं-4(4,5,7,9) STAN- 1,2	लंबित ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों के अनुमोदन पश्चात लेखापरीक्षा को प्रेषित की जायेगी।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
SS/ AIR- 88/ 2016-17	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil भाग-2'ब' प्रस्तर सं- 1,2,3,4	तदैव	तदैव	--
SS/ AIR- 227/ 2017-18	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2	तदैव	तदैव	---

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- डीडीहाट तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री जीवन सिंह धर्मशक्तू	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- डीडीहाट को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195" को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)